thing retrospectively. So, it was not possible to wait for the budget. These were two separate streams of legislative action. One was the Finance Amendment Bill which was following its own course and the other was the Finance Amendment Bill which I have now presented before parliament in terms of the Budget. That is why these two could not be combined in the Budget. Now, I would like to say that I deny, with all the emphasis at my command, the charge that we are treating the finances of this country in a casual manner. We are treating it with all the seriousness that it deserves. One example here and there could not be sighted as any trend that we might be following in this regard. The point that he has made is about making a distinction between different types of people who are going abroad. Mr. Gurudas Das Gupta Saheb, I treat the rich people in one category and the poor people in another category. There is a point, there is a suggestion which I am taking note of, but I am not sure whether this will stand legal scrutiny and whether we can make a distinction which cannot be sustained in law. But, by reducing the tax from Rs. 750 to Rs. 500/ — now the increase is only Rs. 200/- — the burden has been considerably reduced and I am quite confident that those who are going abroad will be able to pay this. For the neighbouring countries, as you know, the whole thing is different. Now, for the job seekers, as I said, it is a point which I have taken note of and we will see whether it is legally tenable or not. Sir, as I said and various hon. Members have also said, the Government is a continuous business, We often stand before the two Houses of parliament and have to defend what previous Governments have done. This is the manner in which our democracy functions. It has fallen to my part to pilot this Ordinance which was promulgated by the previous government. For the next few months of the current financial year, we will carry on with it and when we consider the Budget for the year 1999-2000, at that time we will clean up the Act. We will take the country in the direction in which we want to take it then. For the time being, Sir, I plead with the House to pass this Amendent Ordinance and convert it into an Act of parliament. Thank you, very much.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now I will put the motion.

The question is :

"That the Bill further to amend the Finance Act, 1979 and the Finance (No. 2) Act, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI YASHWANT SINHA: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE LOTTERIES (REGULATION) ORDINANCE, 1998.

II THE LOTTERIES (REGULATION) BILL, 1998.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move the Following Resolution:

"That this House disapproves of the Lotteries (Regulation) Ordinance, 1998 (No. 6 of 1998) promulgated by the President on the 23rd April, 1998."

Sir, the Government of India, sometime before, had appointed a Committee to conduct a study and make proposals for enacting a legislation regulating the lottery business. While that Committee

was still on its job, before that Committee could submit its report, the Government of India had promulgated the Ordinance. It is very difficult to understand the propriety and the necessity of promulgating this Ordinance which is now sought to be replaced by a Bill.

Regarding lotteries, I am personally of the opinion that, as far as possible, it should be avoided: it should be stopped. I do not forget the fact that it is giving employment to several lakhs of people. At the same time, the whole business is functioning on the basis of giving an expectation to the ordinary people that by investing Rs. 2/-, Rs. 5/-, Rs. 10/-, and buying a ticket, if they had luck, they may become millionaires or own a car or get Rs. 10 lakhs at one go. This is the way in which the whole thing works.

Normally, the big businessmen do not go after this. The moneyed people do not go after this. It is the ordinary people on the street, it is the ordinary labourers, who take these tickets on a large scale. The whole business is working on that basis. Therefore, it hits hard many working class families, many families of the toiling sections. Though the State Governments may get some revenue out of it, though several lakhs of people are getting employment because of it, as far as possible, it should be avoided. I do agree.

Of course, we will have to take into consideration the existing situation. We should conduct a study and then we should bring forward a legislation, a pucca legislation. Only with that end in view, the Government had constituted a Committee. The Committee was carrying on with its work. But before that Committee could finalise its proposals and submit its report, the Ordinance was promulgated. What was the hurry for promulgating the Ordinance? That is the first reason why I object to this. That is why I say that this should be disapproved.

Secondly, certain things are very difficult to understand. As far as I know, there are two types of lotteries — single-digit lotteries and three-digit lotteries. But this Bill seeks to ban only the single-digit lotteries. Why is it so? No explanation is being given by the Government.

Clause 3 of the Bill says: 'Save as otherwise provided in section 4, no State Government shall organise, conduct or promote any lottery'. Then, clause 4 says: 'A State Government may organise, conduct or promote a lottery, subject to the following conditions, namely:— (a) prizes shall not be offered on any pre-announced number or on the basis of a single digit'. The main intention is to ban, in effect, the single-digit lottery. What exactly is the reason? This is not known to us.

In the same way, another question also comes up. It says that the lottery tickets of a particular State shall not be distributed in other States in India. Of course, if it is necessary, it should be banned. But, finally, a question arises. In a country like India, if we begin to ban such things one after another, the question of the unity and integrity will arise, and so many other problems will arise.

Therefore, I say that the Government should not proceed with the Bill now. I think the Committee might have submitted its report already. After studying that report, a new Bill may be drafted and presented to the House. Therefore, I suggest that this Bill should not be approved at this stage. Instead of that, the Government should study the whole thing on the basis of the report of the Committee and then prepare a Bill. Before passing that, public opinion will have to be elicited on a wider scaled so that whatever law we make shall be infallible.

With this, I conclude.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि लाटरियों का विनियमन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में

उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष मोहदय, जब इस विषय पर लोक सभा में चर्चा हुई तो मुझे एक आश्चर्यकारक सर्वसम्मति दिखाई दी। यद्यपि चितरंजन जी ने भी इस अध्यादेश के विरोध करने का एक प्रस्ताव रखा लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वही वास्तव में सर्वसम्मत मत था लोक सभा का जब लोक सभा ने यह विधेयक पारित किया। मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि अच्छा होता अगर यह निर्णय 1997 में ही हो जाता जब संसद के 124 सदस्यों ने, सब पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि लाटरी एक प्रकार का जूआ है और उसको प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए। उसके बाद सरकार ने उस पर विचार कर के यह निर्णय किया एक प्राथमिक कदम के रूप में कि हम सिंगल डिजिट लाटरी को प्रतिबन्धित करें। यह बात सही है कि जब तक सिंगल डिजिट लाटरी नहीं चलती थी, इसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता था, जितना सिंगल डिजिट लाटरी से होने लगा क्योंकि सिंगल डिजिट लाटरी में तो बस लगता है कि मुझे अभी मिला। उसमें जितने लोग, खास कर के कमज़ोर वर्ग के लोग जाते थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। इसका विश्लेषण अलग है। लेकिन आरम्भ के लिए उन्होंने यह काम किया और वह भी आर्डिनेंस के द्वारा किया। एक आर्डिनेंस हुआ, 6 महीने के बाद दूसरा आर्डिनेंस हुआ और यह सरकार जब आई तब उसे लगा कि अगर हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे और इस आर्डिनेंस को 5 मई को लैप्स होने देंगे तो जब तक जुलाई में फिर से सदन बैठे, संसद् बैठे तो वह बीच का जो काल है उसमें जितना अनर्थ होना होगा, वह हो जाएगा। मैं जानता हूं कि जो लोग सिंगल डिजिट लाटरी के द्वारा बहुत पैसा कमाते थे, उन्होंने कितनी कोशिश की संसद् के सदस्यों को मिल कर यह कहने की कि कम से कम अभी आर्डिनेंस को खत्म होने दो, लैप्स होने दो, बाद में बिल पास कर लेना। और आप यह आग्रह करो कि पूरी लॉटरी पर बैन होना चाहिए, अभी तो कम से कम 5 मई को इसको लैप्स होने दो। लेकिन सरकार ने इस पर विचार किया और जैसे यशवंत जी ने इससे पूर्व एक अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं भी उनमें से हूं जिन्होंने वर्षों तक, जब भी कोई आर्डिनेंस आया, तो उसका विरोध किया कि आर्डिनेंस के द्वारा तुम कानून क्यों बनाना चाहते हो। आपको कानून बनाना है तो बाकायदा बिल लाओ और तीन रीडिंग्स हो करके संसद् उसे स्वीकार करे। उसी प्रक्रिया में से निकलो। आप फेट एकंपली क्यों देते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि इस विषय में जब विचार हुआ तो हमको लगा कि 5 मई को हमने अगर यह सिंगल डिज़िट लॉटरी पर जो प्रतिबंध है उसको, उस आर्डिनेंस को लैप्स होने दिया, तो इस डेढ़-दो महीने में बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम आर्डिनेंस अभी करें और उसके तुरंत बाद हम इसका विधेयक लाएं। लेकिन विधेयक लाने से भी पहले मुझे याद है कि जब लोक सभा अध्यक्ष के कक्ष में सभी प्रतिनिधियों की बैठक हुई तो उन्होंने आग्रह किया कि परंपरा है कि गृह मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास यह विधेयक जाना चाहिए। विधेयक पारित करने से पहले उनके पास जाना चाहिए और उसमें सचमुच भविष्य के लिए एक मज़बूत नींव रखी गई। पहली बात तो इस विधेयक में वहां चार संशोधन सुझाए। वह कोई बहुत क्रांतिकारी संशोधन नहीं है, सामान्य संशोधन है। लेकिन अभी तक सिंगल डिज़िट लॉटरी को प्रतिबंध करने का जो कानून है उसको कुछ पुख्ता करता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण सिफारिश उस स्टैंडिंग कमेटी ने दी वह है उनके पैरा 15 में, जिसमें उन्होंने कहा है,

> "Having considered the matter in all its aspects, the Committee recommends that as a first step, the present Bill may be passed with some amendments as suggested in the succeeding paragraphs. At the same time, in the light of the overwhelming view in the Committee for across the board ban on all kinds of lotteries...."

अब ऑल काइंड्ज़ ऑफ लॉटरीज़ में दो प्रकार की लॉटरी, एक सरकारी लॉटरी, और उन सरकारी लाटरियों में भी एक केन्द्र की सरकार की लॉटरी, एक प्रदेशों की सरकार की लॉटरी और दूसरा जो किस्म है वह प्राइवेट लॉटरीज़ है। लेकिन वहां पर कमेटी में यूनैनिमस व्यू था कि सब प्रकार की लॉटरीज़ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर कहा कि,

> "In the light of the overwhelming view in the Committee for across the board ban on all kinds of lotteries, it strongly recommends the Government to come forward with a comprehensive Bill at the earliest in consultation with all the state Governments and the Union Territory administrations imposing a complete ban on the lottery trade in the country having regard to the feasibility of effective implementation of the recommended legislation."

और इस विषय पर विचार करते हुए सरकार की ओर से भी उस सदन में कहा कि सरकार स्टैंडिंग कमेटी की इस सिफारिश को स्वीकार करती है और स्वीकार करते हुए एक ओर तो प्रथम कदम के नाते इस विधेयक में जो चार संशोधन सुझाए गए हैं स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, वह अब इनमें मैं समाविष्ट करता हूं वहां दूसरी ओर विश्वास दिलाता हूं कि जैसा निर्देश दिया गया है कि राज्यों से सलाह करके

"in consultation with all the State Governments and the Union Territory Administrations...."

सब राज्यों से सलाह करके इस विषय में एक व्यापक विधेयक सदन के सामने शीघ्रातिशीघ्र लाने की सरकार घोषणा करती है लेकिन घोषणा करते हुए भी इसके आखिरी वाक्य की ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा जिसमें कहा है कि,

Having regard to the feasibility of effective implementation of the recommended legislation."

यानी जिसका मतलब है कि कानूनी तौर पर भी वह अपहोल्ड होना चाहिए और व्यवहारिक तौर पर भी वह कार्यान्वित होना चाहिए। इन दोनों वातों को ध्यान में रखकर और legality of it, I would not उपसभाध्यक्ष जी, उस दिन मुझे लोगों ने कहा कि अभी-अभी एक सुझाव हम ने दिया है, एक संशोधन माननीय सदस्यों ने दिया है, उस को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो संपूर्ण पाबंदी लग जाएगी। मैं ने कहा कि हां, एज ए ले मेन, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इस में कोई कमी हुई और कल कोई कोर्ट में चला गया और जाकर तुरंत स्टे करा दिया तो क्या यह संसद के लिए शोभायमान होगा? इसीलिए उसी समय उन्होंने स्टेंडिंग कमेटी में विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी उपस्थित थे, उन सब से पूछा कि मानिए अभी हम यह तय कर लेते है कि कांप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए तो उस में कितने दिन लगेंगे? चूंकि 8 तारीख को यह ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा तो 8 तारीख से पहले आप बिल ला सकते है? उन तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों ने साफ कहा कि हम 8 तारीख से पहले लेजिस्लेशन नहीं ला सकते। आप चाहे जितनी कोशिश करें, मेहनत करें तो भी हम को प्रक्रियाओं में से निकलना पड़ेगा और इस में कम-से-कम दो सप्ताह लग जाएंगे और अगर आप कहते हैं कि राज्य सरकारों से सलाह भी करनी है तो फिर उस का मतलब है कि कुछ महीने लगेंगे और यह उस से पहले नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह विधेयक जोकि उस सदन ने स्वीकार किया है, उस में अपनी स्टेंडिंग कमेटी ने जो चार संशोधन सुझाए हैं, उन को पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि—

"An explicit provision may be made in clause 4 of the Bill that the sale proceeds of the ticket either sold in retail or wholesale should be credited to the funds of the Government, meaning, the State Government.

Secondly, the term "bumper draw" should be suitably defined to achieve the desired objective.

Thirdly, clause 5 of the Bill which relates to the prohibition of sale of lottery tickets in a State should be modified with a view to ensuring its uniform application by all the States.

Lastly, clause 7 of the Bill which relates to penalty may be suitably modified so as to include State authorities in addition to others."

All these four amendments have now been incorporated in the Bill, as passed by the Lok Sabha. Now all that I need to do is to commend the Bill to the House for its unanimous adoption with the assurance given to the House कि मैं शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकारों से सलाह करूंगा। जरूरत हुई तो मुख्य मंत्रियों को एक बार यहां फिर से बुलाकर और उन से सलाह कर के एक कांप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन सदन के सामने लाने की कोशिश करूंगा जो कानून के हिसाब से पुख्ता हो और व्यावहारिक भी हो। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी आप को भी होगी कि पिछले दिनों कुछ राज्यों ने उस पूर्व अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत कीं, एक हाइकोर्ट ने उन याचिकाओं को मंजूर किया और उन की जहां तक लॉटरीज थी, अध्यादेश के प्रतिबंध को हटा दिया अर्थात् यहां आज भी दिल्ली और केन्द्रीय सरकार की लॉटरी नहीं चलती। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की लॉटरी भी प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ और राज्यों की लॉटरीज चलती हैं। यह स्थिति पैदा न हो, इस दृष्टि से एक पुख्ता कानून बनना चाहिए और उस कानून को बनाने की दिशा में यह सरकार आगे

बढ़ेगी, इतना आश्वासन देते हुए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को सर्व-सम्मति से पारित करें।

The questions were proposed.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, इस पर मैंने एक संशोधन दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): वह क्लाज बाय क्लाज में आएगा। श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल।

डा॰ (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने "द लाटरी रेगुलेशन बिल, 1998" का प्रस्ताव जो यहां रखा है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह सुनते हुए बड़ा दुख होता है, माननीय चितरंजन जी उनका अपोज कर रहे हैं, मंत्री जी माननीय आडवाणी जी भी उनका अपोज कर रहे हैं, दिल से अपोज करते हैं और बिल यहां पेश कर रहे हैं। यह बड़े ताज्जुब की बात है। हम यह स्वीकार करते हैं कि इसमें यूनेनिमिटी है कि इस लाटरी से स्पेकुलेशन बढ़ता है, यह एक प्रकार का जुआ है, जिसको सेलरीड क्लास वाले, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, वह ज्यादातर खरीदते हैं। जो मजदूर वर्ग है, आर्गेनाइज और अनआर्गेनाइज, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है वह इसके भोग बनते हैं। रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, लॉरी वाले, जिनकी कि आमदनी कम होती है, वे इसके प्रलोभन में आ जाते हैं क्योंकि वे इस महंगाई में अपने कुटुम्ब का निर्वाह करने में मुश्किल महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर लाटरी लग गई तो मेरा घर हो जाएगा, लाटरी लग गई तो मेरा स्कूटर आ जाएगा, लाटरी लग गई तो मेरे लड़के को फारेन पढ़ने के लिए भेज दूंगा। ऐसे दिवास्वप्न देखते देखते वे लोग लाटरी में अपनी आमदनी के पैसे बर्बाद कर देते हैं।

मान्यवर, छोटे छोटे गांव तक यह दूषण पहुंच गया है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे लाटरी में कुछ मैगनेट लगा हुआ है। लाटरी भी तरह-तरह की होती है। वैसे यहां दो प्रकार की लाटरी बताई गई हैं वन डिजिट लाटरी और थ्री डिजिट लाटरी। हम सभी जानते हैं कि हर घंटे अंक बाहर आता है। कई लोग साधु संतों के पास जाते हैं और कई, जिसको कहते हैं पुजारी वगैरह, उसके पास जाकर लकी नंबर ले आकर भी अपना नसीब अजमाते हैं। यह सब होता है और अंत में बर्बाद तो कुटुम्ब ही होता है। अभी आपने देखा होगा कि लकी ड्रा निकालते हैं, कोई कहता है कि हम पांच किलो सोना आपको देंगे, कोई कहता है कि हम मारूति कार आपको देंगे, कोई कहता है कि हम मर्सडीज कार आपको देंगे। ऐसे टेम्पटेशन दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका भोग बनता है आम आदमी, आम आदमी का कुटुम्ब। इसीलिए मैं इस बिल का विरोध करती हूं क्योंकि इससे गरीब आदमी उसका भोग बनता है और सहन कुटुम्ब की महिलाओं को करना पड़ता है।

मान्यवर, पुरुष डेली वेजेज में 30/- रुपए, 40/- रुपए की अपनी मजदूरी लेकर जब घर की ओर आता है तो बीच में लाटरी की दुकान दिखाई देती है और वहां आकर वह अपना पैसा लाटरी में लगा देता है। फिर घर पर पांच या दस रुपए लेकर आता है। अब उनकी पत्नी क्या खाएगी, बच्चों को क्या खिलाएगी, अपने पति को क्या खिलाएगी, अपने बूढे सास-ससुर को क्या खिलाएगी। जो इससे कटौती होती है, वह तो महिलाओं के घर के बजट से होती है। .....(व्यवधान).... मैं इसी के ऊपर ही बात कर रही हूं शायद आप समझ सकते हैं। घर में बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहते, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है, आरोग्य की सुविधा वास्ते दवाइयां लानी हैं तो पैसे नहीं रहते। इस तरह कुटुम्ब पर लाटरी का एफेक्ट होता है। यह सब हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते करते यह कम्परोमाइजिंग बिल यहां ले आए हैं। यह मुझे दुख की बात लगती है।

मान्यवर, वैस्टर्न कण्ट्रीज में या अमरीका में ऐसी बात चलती है कि वहां लोग कहते हैं कि ड्रग्स को एवायड करना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होता है, लेकिन ड्रग्स को एवायड कैसे करें तो वह कहते हैं मेरीजुओना कम नुकसान करती है इसलिए उसकी छूट दे दो। हम इसी लाइन पर चल रहे हैं, वैस्टर्न कंट्रीज की लाइन पर चल रहे हैं कि यह नुकसान करता है तो फिर थोड़ा उसको कम्परोमाइज करके इस तरह से ले आओ। यह जो दूषण है, वह तो दूषण ही रहता है। इसलिए हमें इसका अपोज करना ही चाहिए, इसको नहीं लाना चाहिए। अगर लोक सभा ने किसी कारण से इसे पास किया है तो ठीक बात है, लेकिन राज्य सभा को इस बिल को वापस भेजना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि आम आदमी मजदूरी करके, अपना पसीना बहाकर जो आमदनी लाता है, वह आमदनी अपने कुटुम्ब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आपके लिए, अपने विकास के लिए यूटिलाइज करे और इस महंगाई के जमाने में आम आदमी को सपोर्ट करने के लिए भी इसको नहीं लाना चाहिए। मैंने कई ऐसे केसिस देखे हैं कि जिसमें अपनी आमदनी ही नहीं पत्नी के जेवर और घर के बर्तन भी बेचकर उसने अंकों में लगा दिए और पूरे बर्बाद हो

गए। यह पुरुषार्थ को प्रोत्साहन नहीं देती है, नसीब पर जोर देती है और मेरे हिसाब से यह भी बहुत गलत बात है। आदमी को अपने पुरुषार्थ पर जीना चाहिए, ऐसा हमें उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, ऐसे संस्कार देने चाहिए। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति यही रही है लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय संस्कृति की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी सरकार यह कम्प्रोमाइजिंग बिल लेकर आई है, यह बड़े दुख की बात है। इसमें हमने खाली प्राइवेट एजेंसी को रिस्ट्रिक्ट किया है, सरकार को हमने छूट दे दी है, राज्य सरकार को खुली छूट दे दी है जबकि हम जानते हैं कि जिन राज्यों में यह लॉटरी चलाई जाती है वहां किस तरह से भ्रष्टाचार होते हैं, कैसे-कैसे लूपहोल्स इनके अंदर पड़े हुए हैं। जिन राज्यों में यह लॉटरी चल रही है, वहां की भी अगर हम रिपोर्ट देखें तो मालूम होगा कि वहां इससे प्राप्त आमदनी जो खर्च होती है तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में ज्यादा होती है और डेवलपमेंट में उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है और अगर बचता है तो इतना कम बचता है कि उससे तो अच्छा है कि लॉटरी न चलाई जाए। यह एक्सपीरिएंस उन राज्यों का है, जहां पर लॉटरी चलती है और जो राज्य बंद करके बैठे है, वहां भी दूसरे राज्यों की टिकटें आती हैं, यह भी हम जानते हैं। अब सबको पूछने जाएंगे तो हरेक की अलग-अलग राय रहती है। हम यह बिल लाए तो स्टेट को पूछने तो गए नहीं है। तो क्या कम्प्लीट वैन करने के लिए हमें स्टेट को पूछना जरूरी है? हम अपने आप यह बिल लाएं और वैन करें और समाज में से इस पाल्यूशन को खत्म करें और सरकार की मोनोपली बनाकर इसको ज्यादा बिगाडने का काम न करें, यह मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं। आडवाणी जी और चितरंजन जी, दोनों ऐसे विचार वाले हैं और अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी ऐसे विचार वाले हैं और सभी पार्टियां भी ऐसे विचार वाली हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि इस बिल को यहां पास करने के बजाए अगर सरकार वापिस ले ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस पर ज्यादा विचार किया जाना चाहिए कि इसको वैन करने के लिए कैसे एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाए। इसमें अगर एक-दो सप्ताह लग जाएं तो कोई चिंता नही करनी चाहिए। हमें जहां कम्प्रोमाइज करना चाहिए वहां हम नहीं करते, तो यहां कम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? अगर राम मंदिर के प्रश्न पर हमने कम्प्रोमाइज किया होता तो पूरा देश आपको धन्यवाद देता, लेकिन यह महिलाओं और बच्चों की सुविधाओं, एमिनिटीज आफ लाइफ के बारे में जब यह हो रहा है और वहां कम्प्रोमाइज करने की बात आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं समझती हूं कि मंत्री जी इसके बारे में कुछ सोचेंगे और इस बिल को विदड्रा करेंगे और देश के आम आदमी, गरीब वर्ग, महिलाएं, बच्चे जो डिप्रेस है, जिनके बारे में, जिनकी फेवर में हम बार-बार हाउस में बोलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी कुछ करेंगे।

एक बात यहां यह भी बताई गई है कि इसमें से बहुत से लोगों को आमदनी मिलती है, रोजी-रोटी मिलती है। क्या रोजी-रोटी खिलाने का यही एक तरीका है? हम और भी अल्टरनेटिव्स पर इस बारे में सोच सकते हैं, हम कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। आप ऐसे लोगों को, जो इसमें से रोजी-रोटी कमाते हैं, उनको एसटीडी, पीसीओ बूथ दे सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उनको ज्वाइन करा सकते हैं और सरकार के पास अन्य अनेक ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम उनको रोजी-रोटी कमाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर हम यह कहें कि ड्रग्स से आमदनी भी मिलती है और इम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, तो क्या ड्रग्स के बारे में भी छूट दे देंगे? यह आरग्यूमेंट तो आरग्यूमेंट नहीं है।

मैं मानती हूं कि इन सब बातों पर सोचकर सरकार यह बिल विदड्रा करे। या तो इसे फिर से पुनर्विचार के लिए भेजे लेकिन इसको पास न करें। मैं यहां बैठे हुए सभी साथियों से अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि यह मानवता का सवाल है, यह आम आदमी का सवाल है। इसको देखते हुए इस बिल को वापस लेना चाहिए और इसके लिए फिर से मंत्री जी कोई कांप्रिहैंसिव बिल लेकर आएं, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, लॉटरीज़ रेगुलेशन बिल 1998 जिस रूप में लोक सभा द्वारा पारित किया गया है और जो इस समय सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार ने सोच की सही दिशा पकड़ी है कि अंततः सभी प्रकार की लॉटरीज़ पर प्रतिबंध लगना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वासन दिया है कि वे सभी पहलुओं पर विचार करके कानूनी दृष्टि से पुख्ता और सभी राज्यों को विश्वास में लेते हुए और उनके विचारों को सम्मिलित करते हुए जल्दी ही एक कांप्रिहैंसिव बिल यहां लाएंगे जिससे इस देश में लॉटरी का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा न हो, तब तक क्या हम वैक्युम या शून्य क्रिएट कर दें या लॉटरी व्यापार का जो सबसे खतरनाक

स्वरूप है सिंगल डिजिट लॉटरी, उसको चलने दें या उसको प्रतिबंधित करें, यह सवाल हमारे सामने है।

महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार एक शून्य पैदा नहीं करना चाहती। अगर यह आर्डिनेंस लैप्स कर जाता है तो रातों-रात सिंगल डिजिट लॉटरी के अड्डे फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे, जगह-जगह अड्डे खुल जाएंगे और भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। इसका अनर्थकारी परिणाम होगा उन लोगों पर जो गरीब हैं, मेहनतकश है, मजदूर है, सीमित आमदनी वाले है, रिक्शा-चालक है, रोजाना वे जो कमाते हैं उसी से परिवार का पेट पालते है। ऐसे गरीब लोग ही सिंगल डिजिट लॉटरी के टारगेट ग्रुप हैं और उनको बचाने के लिए ही कम से कम पहले कदम के रूप में यह सिंगल डिजिट लॉटरी का प्रतिबंध चालू रहना चाहिए और कोई शून्य या वैक्युम नहीं पैदा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस भावना से इस आर्डिनेंस को लैप्स न होने देकर उसे बिल के रूप में और स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सुझाए हुए संशोधनों को शामिल करते हुए एक सुधरे हुए बिल के रूप में लोक सभा ने पारित किया है और उसे राज्य सभा के सामने विचारार्थ भेजा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, लॉटरी एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई, जिसको सारा समाज जुए के रूप में जानता है, इसका कितना घातक और भयंकर परिणाम हो सकता है, यह हम अपने देश के महाकाव्य महाभारत से जानते हैं। महाभारत का मूल कारण था द्रोपदी का आक्रोश और द्रोपदी के आक्रोश के मूल में था पांडवों द्वारा जुए में द्रौपदी को हार जाना। वह तनाव जो महाभारत में पैदा हुआ, इस सिंगल डिजिट लॉटरी के कारण वैसा तनाव हम हजारों घरों में पैदा होता हुआ देखते हैं। परिवारों पर घातक परिणाम हुआ है इस सिंगल डिजिट लॉटरी का। यह लाटरी लालच की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। पैसा लगाओ-करोड़पति बन जाओगे, पैसा लगाओ-लखपति बन जाओगे। इस बार कुछ नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा। यह लालच की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, झूठी आशा जगाना और इस प्रकार लॉटरी व्यापार से खिंचकर अपने धन की, पैसे की, समय की बरबादी करना और एक नैतिक पतन होना, इस ओर यह लाटरी व्यापार ले जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसा हमारी माननीय सदस्या कह रही थी कि यह पुरुषार्थ से विमुख करके हमको भाग्य पर निर्भर रहना, भाग्यवादी बनाना, अकर्मण्य बनाना इस दिशा में ले जाता है। कहा जाता है कि इससे राज्यों को कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जो लॉटरी व्यापार का टर्न आउट है उसके मुकाबले में नेट प्रोफिट बहुत कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दो वर्ष पूर्व के आंकड़े मेरे पास हैं। अरुणाचल प्रदेश में 304.71 करोड़ का टर्न आउट था और नेट प्रोफिट था 1.04 करोड़। गोवा में 312 करोड़ और नेट प्रोफिट 2.29 करोड़। हिमाचल प्रदेश में 240 करोड़ के अगेंस्ट नेट प्रोफिट था 1.48 और दिल्ली में कुछ वर्ष पूर्व जब लॉटरी चलती थी तो... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Kohli, now you will conclude and you will continue tomorrow. Now we will take up the statement by the Minister of Finance.

STATEMENT BY MINISTER

Constitution of Eleventh Finance Commission

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, the *Hon'ble President of India has* constituted the Eleventh Finance Commission on 3rd July, 1998. Prof A.M. Khusro has been appointed the Chairman of the Commission. Shri N.C. Jain, Shri J.C. Jetly and Dr. Amresh Bagchi have been appointed Members and Shri T.N. Shrivastava has been appointed the Member Secretary of the Commission.

The recommendations of the Tenth Finance Commission which had submitted its Report in November, 1994 are valid upto March, 2000. The Eleventh Finance Commission has been mandated to give its Report by 31st December, 1999 so that Government's decision on its recommendations may be made effective from 1st April, 2000.

Terms of Reference of the Commission include, as prescribed under article 280 of the Constitution, the sharing of proceeds of Central taxes and grant-in-aid to the States. For the first time, the Finance Commission has been mandated, in terms of 73rd and 74th Amendment to the Constitution, to recommend the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State.

3814/RS/F-13